संसद भवन:
अतीत से भविष्य की ओर

लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली
10 दिसम्बर, 2020

© 2020 लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (सोलहवां संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत जैनको आर्ट इंडिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित

आमुख

भारत की संसद इस महान राष्ट्र के लोगों की सर्वोच्च आकांक्षाओं की प्रतीक है। हमारा संसद भवन राष्ट्रीय गौरव, संसदीय लोकतंत्र की परिपक्वता और युवा, आधुनिक राष्ट्र की आकांक्षाओं का प्रतिबिम्ब होना चाहिए। वर्तमान संसद भवन वास्तुकला की दृष्टि से अद्वितीय है, इसकी नींव एक शताब्दी पूर्व फरवरी 1921 में रखी गई थी। यह भवन राष्ट्र में संसदीय लोकतंत्र की स्थापना और आधुनिक स्वरूप में उसके विकास का साक्षी रहा है।

संसद के प्रति देशवासियों की अटूट आस्था का प्रमाण इस बात से मिलता है कि विगत नौ दशकों में संसदीय दायित्वों में अत्यधिक वृद्धि हुई है और उनके निर्वहन के लिए संसद भवन में और अधिक स्थान की आवश्यकता महसूस की गई। इसके अतिरिक्त आधुनिक प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और संरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को भी वर्तमान भवन में उपलब्ध संसाधनों से पूरा किया जाना संभव नहीं रहा है। इन्हीं कठिनाइयों को देखते हुए, राज्य सभा और लोक सभा दोनों ने ही राष्ट्र के लिए एक नये संसद भवन के निर्माण का समर्थन करते हुए संकल्प पारित किए।

माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 10 दिसम्बर, 2020 को नए संसद भवन की नींव रखी थी। इस कार्यक्रम में लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला जी भी उपस्थित थे। औपनिवेशिक शासन से देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर, नया संसद भवन हमारे लोकतंत्र के लिए पावन स्थल होगा।

लोक सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित इस पुस्तिका में इस अवसर पर भारत के माननीय राष्ट्रपति और भारत के माननीय उप–राष्ट्रपति के संदेश, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय लोक सभा अध्यक्ष द्वारा दिए गए भाषणों के साथ ही उपयोगी जानकारी और चित्र शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि यह पुस्तिका भविष्य के लिए एक अमूल्य प्रकाशन सिद्ध होगी।

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव
लोक सभा

नई दिल्ली
दिसम्बर 2020

∧ जल में प्रतिबिंबित संसद भवन का मनमोहक दृश्य

विषय सूची

	पृष्ठ सं.
आमुख	iii
प्रस्तावना	1
संसद भवन परिसर का संरचनात्मक विकास	3
एक अत्याधुनिक और हाइटेक संसद भवन की आवश्यकता	7
• लोक सभा में सीटों के आबंटन के संबंध में संवैधानिक प्रावधान	9
नए संसद भवन का प्रस्ताव	10
सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति की सिफारिशें	14
नए संसद भवन का शिलान्यास	17
• भारत के माननीय राष्ट्रपति का संदेश	18
• भारत के माननीय उप-राष्ट्रपति का संदेश	19
• माननीय लोक सभा अध्यक्ष का संबोधन	27
• माननीय प्रधान मंत्री का उद्‌बोधन	31
नया संसद भवन : मुख्य विशेषताएँ	41
• नए संसद भवन से जुड़े महत्वपूर्ण बिन्दु	42
महत्वपूर्ण पड़ाव	62

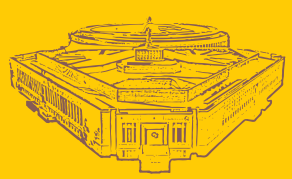

“संसद की नई इमारत एक ऐसी तपोस्थली बनेगी जो देशवासियों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए काम करेगी, जनकल्याण का कार्य करेगी।”

माननीय प्रधान मंत्री,
श्री नरेन्द्र मोदी

“संसद का नया भवन देश के सभी प्रांतों की उत्कृष्ट कला, संस्कृति और विविधताओं से परिपूर्ण होगा और सभी देशवासियों की प्रेरणा का केंद्र होगा।”

माननीय लोक सभा अध्यक्ष,
श्री ओम बिरला

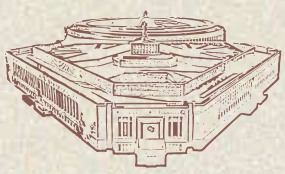

प्रस्तावना

प्राचीन काल में गौतम बुद्ध, अशोक और महावीर से लेकर आधुनिक काल में स्वामी विवेकानंद, गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और डॉ. बी.आर. अंबेडकर जैसी महान विभूतियों के कारण आज भारत को मानवता, दर्शन और शांति के प्रतीक और एक ऐसे महान देश के रूप में जाना जाता है जिसने मानव जाति के विवेक और ज्ञान को समृद्ध किया है। प्राचीन काल से ही देशवासियों में वाद–विवाद, चर्चा और विचार–विमर्श की संस्कृति रही है। भारत के प्राचीन गणराज्य विश्व के कुछ प्राचीनतम लोकतंत्रों में से एक हैं। यह महान विरासत ही भारतीय लोकतन्त्र की शक्ति और उसका आधार है और हमारी प्रगति, शक्ति और स्थिरता की बुनियाद भी है।

भारत की संसद विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। यह एक ऐसा उच्च विमर्शी निकाय है जिसने भारत की नियति का निर्धारण करने में सदैव अग्रणी भूमिका निभाई है। यह भारत की जनता की आशाओं, आकांक्षाओं, अपेक्षाओं और सरोकारों को मुखरित करता है।

अपने सात दशकों से भी अधिक लंबे कार्यकाल में संसद, भारत के एक नव स्वतंत्र राष्ट्र से लेकर अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मामलों में विशिष्ट स्थान रखने वाली आर्थिक और सांस्कृतिक शक्ति बनने की यात्रा में इसकी प्रगति की साक्षी और इसका अभिन्न अंग रही है।

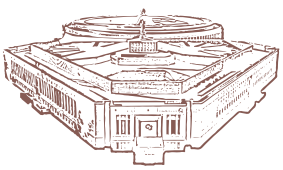

∧ निर्माणाधीन संसद भवन

∧ निर्माण के पश्चात् संसद भवन

संसद भवन परिसर का संरचनात्मक विकास

संसद भवन सम्पदा में संसद भवन, स्वागत कार्यालय भवन, संसदीय सौध, संसदीय सौध विस्तार भवन, संसदीय ज्ञानपीठ और इसके आस–पास के विस्तृत लॉन शामिल हैं।

संसद भवन, देश के सबसे भव्य भवनों में से एक है जिसका निर्माण प्रसिद्ध वास्तुकार, सर एडविन लुटियंस और सर हरबर्ट बेकर की निगरानी में किया गया था। संसद भवन (जिसे प्रारम्भ में काउंसिल हाउस के नाम से जाना जाता था) की आधारशिला 12 फरवरी 1921 को द ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी। भवन का उद्घाटन भारत के तत्कालीन वायसरॉय, लॉर्ड इर्विन ने 18 जनवरी 1927 को किया था और इस प्रकार इस भव्य भवन की यात्रा आरम्भ हुई जिसकी पावन दीवारों ने पल–पल इतिहास बनते हुए देखा है।

भवन का निर्माण छह वर्ष में 83 लाख रुपये की लागत से हुआ था। उस समय यह एक बहुत बड़ा कार्य था और तब से लेकर आज तक यह प्रतिष्ठित इमारत नई दिल्ली की पहचान है। सेन्ट्रल लेजिस्लेटिव असेम्बली की पहली बैठक 19 जनवरी 1927 को संसद भवन में हुई और इस प्रकार भारत में आधुनिक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का सूत्रपात हुआ।

वर्तमान संसद भवन एक वृहत् वृत्ताकार भवन है जिसका व्यास 560 फीट है। इसकी परिधि एक तिहाई मील है और इसका क्षेत्रफल लगभग छह एकड़ है। इसके प्रथम तल के खुले बरामदे के किनारे पर क्रीम रंग के बलुआ पत्थर के 144 स्तम्भ लगे हुए हैं जिनकी ऊँचाई 27 फीट है। ये स्तम्भ इस भवन को एक अनूठा आकर्षण और गरिमा प्रदान करते हैं। पूरा संसद भवन लाल बलुआ पत्थर की सजावटी दीवार से घिरा हुआ है जिसमें लोहे के द्वार लगे हुए हैं। कुल मिलाकर इस भवन में 12 द्वार हैं।

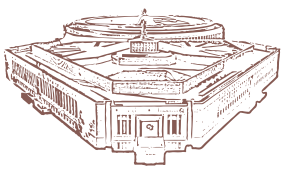

^ संसद भवन

परिसर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए तथा भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नेताओं और महान विभूतियों के सम्मान में लॉन, प्रांगण और लोक सभा कक्ष, राज्य सभा कक्ष तथा सदस्य अध्ययन कक्ष की दीर्घाओं के प्रवेश कक्षों में विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय नेताओं की मूर्तियों और आवक्ष प्रतिमाओं को स्थापित किया गया है।

^ 14-15 अगस्त 1947 को संविधान सभा का मध्यरात्रि सत्र

संसद भवन में इतिहास रचा गया है। वर्ष 1921 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेम्बली और कांउसिल ऑफ स्टेट्स की स्थापना के साथ शुरू हुई भारतीय विधानमण्डल की यात्रा का भी यह साक्षी रहा है। ब्रिटेन द्वारा भारत को सत्ता का हस्तांतरण भी इसी भवन के भीतर हुआ था। संसद के केन्द्रीय कक्ष में ही संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकृत किया जो सभी देशवासियों का मार्गदर्शन कर रहा है।

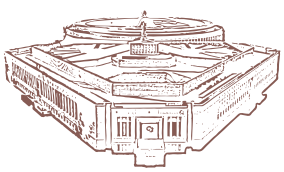

MAGNIFICENT HOME FOR INDIA'S PARLIAMENT.

State Opening by the Viceroy

COUNCIL HOUSE BUILT AT A COST OF RS. 75 LAKHS.

The finishing touches have been put to the preparations for the opening of the Council House at New Delhi by the Viceroy on Tuesday, and a large amphitheatre has been arranged outside for the purpose.

The building is a magnificent one and has been built at a cost of Rs. 75 lakhs, and it will house the Assembly Chamber, the Council of State Chamber and the hall of the Chamber of Princes.

(FROM OUR SPECIAL CORRESPONDENT.) NEW DELHI, January 17.

[illegible]

The Times of India, 19 January 1927

INDIA'S "NEW LIFE."

COUNCIL HOUSE AT DELHI.

King's Message to Country on an Historic Occasion.

IMPRESSIVE OPENING CEREMONY.

"The new capital which has arisen enshrines new institutions and a new life. May it endure to be worthy of a great nation and may in this Council House wisdom and justice find their dwelling place". In these words, His Majesty the King gave his blessing to the [illegible] which marked the opening of the Council House at New Delhi by the Viceroy.

Being a state function, the gathering was a very brilliant one, and the speeches made on the occasion dwelt largely on the new era which was opening for India.

The Viceroy, after reading the King's message, during which the whole gathering rose to its feet, referred to the symbolic nature of the arrangement of the buildings, indicating the unity of the Empire under the British Crown and an emblem of eternity.

He concluded: "Let us pray that men of every race and class and creed may here unite in a single high resolve to guide India to fashion her future well".

The Statesman, 19 January 1927

NEW IMPERIAL CITY

IMPULSE TO INDIAN NATIONAL UNITY

LONDON, JAN. 18.

REFERRING to Lord Irwin's opening of the Council House at New Delhi, the *Times* says:—"The occasion indeed demands a certain magnificence of ceremony, for it marks the coming of age of the new Imperial City, on which such care and labour have been expended since 1912."

The *Times* quotes Sir Christopher Wren's words "Architecture has its political uses. It establishes a nation," and asks "may not the future historian be able to record that the creation of a noble and healthy Imperial capital, Delhi, gave a decisive impulse to the growth of Indian national unity."

The *Times* expresses the opinion that the cost is remarkably small for the magnitude and above all for the aesthetic excellence of the work accomplished.—Reuter's Special Service.

MAGNIFICENT APARTMENT.

The segment buildings are the Legislative Assembly Chamber seating 143, the Council of State Chamber seating 92 and the hall of the Chamber of Princes with seats for 86. The central circular building is a magnificent domed apartment large enough to accommodate an assembly of all three Chambers, and it will ordinarily be used as a library for the members of them all. The total cost of Council House works out at 75 lakhs, but while this seems a tremendous sum for such a purpose the engineers point out that it is cheap at the price, and any ordinary mortal can see at a glance that it is as yet incomplete. The original design provided for a third story and the building looks incomplete without it, while in its absence there are visible the tops of certain staircases and ventilators and other structures that were never meant to be seen. But what rejoices the engineers is that the whole mass, which contains 10.9 million cubic feet of masonry, has been erected at a cost of only eleven annas per cubic foot. The cost of the corresponding work in England is nine shillings a cubic foot. The new North Ireland combined Parliament buildings and law courts at Belfast are costing one and three quarter millions sterling. The British House of Parliament containing 23.9 cubic feet cost two millions sterling in 1840 when building was comparatively cheap, and to erect similar buildings today would [illegible]

^ 18 जनवरी 1927 को संसद भवन के उद्घाटन से संबंधित समाचारपत्रों की कतरनें

एक अत्याधुनिक और हाइटेक संसद भवन की आवश्यकता

भारतीय लोकतंत्र समय की कसौटी पर खरा उतरा है और विगत वर्षों में सुदृढ़ होता गया है। समय के साथ, लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं में लोगों का विश्वास और गहरा हुआ है। ऐतिहासिक रूप से, लोक सभा का पहली बार विधिवत् गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। पहली लोक सभा में सदस्यों की संख्या 499 थी। संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 के तहत राज्यों के सदस्यों की अधिकतम संख्या बढ़ाकर 500 निर्धारित की गई थी। संविधान (इकतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1973 द्वारा सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 525 कर दी गई थी। तत्पश्चात् गोवा, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 द्वारा यह संख्या बढ़ाकर 530 कर दी गई थी। लोक सभा के कुल 550 सदस्यों में से 530 सदस्य राज्यों और 20 सदस्य संघ राज्यक्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं । इसी प्रकार, राज्य सभा के सदस्यों की संख्या, जो वर्ष 1952 में 204 थी, 1966 में बढ़ाकर 228 और 1987 में 233 कर दी गई थी। आज राज्य सभा के सदस्यों की कुल संख्या 245 है जिनमें से 233 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं और 12 नामनिर्देशित होते हैं। उल्लेखनीय है कि लोक सभा और राज्य विधानमंडलों में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया के बाद लोक सभा और राज्य सभा में सदस्यों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है।

विगत वर्षों में, संसद की भूमिका और दायित्वों में वृद्धि हुई है और इनमें विविधता भी आई है। राष्ट्र और संसद सदस्यों की बढ़ती आवश्यकताओं एवं मांगों को पूरा करने के लिए वर्ष 1975, 2002 और 2017 में क्रमशः तीन नए भवनों – संसदीय सौध, संसदीय ज्ञानपीठ और संसदीय सौध विस्तार भवन – को संसद भवन संपदा में जोड़ा गया। संसदीय लोकतंत्र की यात्रा के दौरान भारत की संसद हमारी जनता की मित्र और मार्गदर्शक रही है

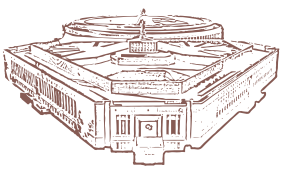

और भारत के संविधान द्वारा दिखाये गए मार्ग पर चलते हुए देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर कर रही है।

साथ ही, संसदीय कार्यकलापों तथा संसद में कार्य करने वाले व्यक्तियों और आगंतुकों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है। अत्यधिक उपयोग के कारण वर्तमान संसद भवन पर दबाव बढ़ रहा है। समय के साथ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई प्रगति के साथ अधिक स्थान, सुविधाओं और उन्नत प्रौद्योगिकी की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इस दौरान अग्निशमन मानकों में भी परिवर्तन किए गए हैं और वर्तमान भवन इन मानकों के अनुसार नहीं पाया गया है। विद्युत, वातानुकूलन और पाइपलाइन प्रणाली संचालन एवं रख–रखाव की दृष्टि से महंगी हैं। इसके अलावा, केंद्रीय कक्ष में बैठने की क्षमता सीमित है। जब संयुक्त सत्र आयोजित किया जाता है तो रास्ते में भी कई अस्थायी सीटों की व्यवस्था करनी पड़ती है। ऐसी व्यवस्था इस महान संस्था की गरिमा के अनुकूल नहीं है और ऐसे में आपात स्थिति में कक्ष खाली करने में कई चुनौतियाँ आ सकती हैं।

विभिन्न एजेंसियों ने समय–समय पर अध्ययन किए हैं जिनसे पता चला है कि भवन के ढांचे को सुदृढ़ करने, विद्युत और यान्त्रिकी संबंधी सेवाओं को पुनःस्थापित करने, वातानुकूलित करने और इसके परिणामस्वरूप पैदा होने वाली बाधाओं को दूर करने तथा अस्थायी संरचनाओं को हटाने के लिए संसद भवन को 18–24 महीनों की अवधि के लिए खाली रखना होगा। इसके अलावा, संवैधानिक उपबंधों के अनुसार, देश में जनसंख्या वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में सदस्यों की संख्या में भी वृद्धि हो सकती है और मौजूदा भवन में बैठने के स्थानों की संख्या को बढ़ाना व्यावहारिक नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में अनेक सदस्यों ने भी आधुनिक और उच्च प्रौद्योगिकी से युक्त भवन की आवश्यकता पर बल दिया है ताकि वे अपने निर्वाचकों की आवश्यकताओं पर सार्थक ढंग से ध्यान दे सकें और लोक महत्व के मुद्दों का शीघ्रातिशीघ्र समाधान कर सकें। अतः, यह महसूस किया गया कि मौजूदा संसद भवन के समीप नए संसद भवन का निर्माण किया जाए।

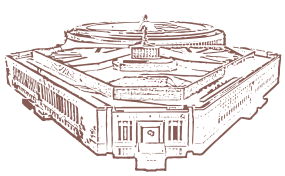

लोक सभा में सीटों के आबंटन के संबंध में संवैधानिक प्रावधान

82. प्रत्येक जनगणना के पश्चात् पुनः समायोजन – प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर राज्यों को लोक सभा में स्थानों के आबंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से पुनः समायोजन किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे :

परंतु ऐसे पुनः समायोजन से लोक सभा में प्रतिनिधित्व पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक उस समय विद्यमान लोक सभा का विघटन नहीं हो जाता है :

परंतु यह और कि ऐसा पुनः समायोजन उस तारीख से प्रभावी होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे और ऐसे पुनः समायोजन के प्रभावी होने तक लोक सभा के लिए कोई निर्वाचन उन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर हो सकेगा जो ऐसे पुनः समायोजन के पहले विद्यमान हैं :

परंतु यह और भी कि जब तक सन् 2026 के पश्चात् की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं तब तक इस अनुच्छेद के अधीन, –

(i) राज्यों को लोक सभा में 1971 की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजित स्थानों के आबंटन कार्य, और

(ii) प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन–क्षेत्रों में विभाजन का, जो 2001 की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजित किए जाएँ,

पुनः समायोजन आवश्यक नहीं होगा।

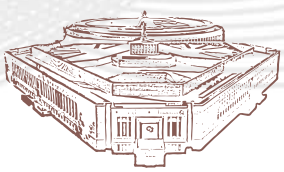

नए संसद भवन का प्रस्ताव

भारत के माननीय उप-राष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति, श्री एम. वेंकैया नायडु तथा माननीय लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला ने 5 अगस्त 2019 को, क्रमशः राज्य सभा और लोक सभा में नए संसद भवन संबंधी एक प्रस्ताव पेश किया और माननीय प्रधान मंत्री से एक आधुनिक तकनीकी युक्त नए भवन के लिए अनुरोध किया।

∧ माननीय उप-राष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति, श्री एम. वेंकैया नायडु

माननीय उप-राष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति की टिप्पणी

माननीय सदस्यगण, भारतीय गणराज्य का सबसे बड़ा मन्दिर यह संसद भवन अपने 92 स्वर्णिम वर्ष पूरे कर चुका है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के इस मन्दिर के भवन से सभी राजनीतिक निर्णय लिए जाते हैं। स्वतंत्रता के बाद से अब तक लोकतंत्र के बढ़ते स्वरूप ने देश की इस सबसे पवित्र और महान धरोहर का उत्तरदायित्व भी बढ़ाया है और इससे देश की अपेक्षाओं का विस्तार भी किया गया है। ऐसे में यह हम सबकी आकांक्षा है कि विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र और सबसे विशाल लोकतंत्र का संसद भवन सबसे भव्य और सबसे आकर्षक बने। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी से, सरकार से, हम सबकी ओर से आग्रह करना चाहता हूं कि भारत की आजादी के 75 वर्ष 2022 तक पूरा होने पर नव भारत के उनके संकल्पों में संसद भवन का विस्तार और आधुनिकीकरण को भी सम्मिलित किया जाए।

मैं सदन के सभी सदस्यों की तरफ से देश और सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि संसद की पवित्रता और गरिमा को अक्षुण्ण रखा जाएगा।

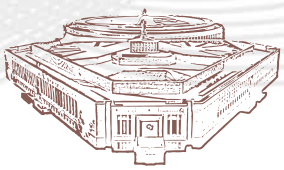

^ माननीय लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला

माननीय लोक सभा अध्यक्ष की टिप्पणी

माननीय सदस्यगण, भारतीय गणराज्य का सबसे बड़ा मन्दिर यह संसद भवन अपने 92 स्वर्णिम वर्ष पूरे कर चुका है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के इस मन्दिर के भवन से सभी राजनीतिक निर्णय लिए जाते हैं। स्वतंत्रता के बाद से अब तक लोकतंत्र के बढ़ते स्वरूप ने देश की सबसे पवित्र और महान धरोहर का उत्तरदायित्व भी बढ़ाया है और इससे देश की अपेक्षाओं का

विस्तार भी किया गया है। ऐसे में यह हम सबकी आकांक्षा है कि विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र और सबसे विशाल लोकतंत्र का संसद भवन सबसे भव्य, सबसे आकर्षक और तकनीकी रूप से आधुनिक बने। हम जब आजादी के 75 वर्ष पूर्ण करने जा रहे हैं, तो हमारा सपना है कि हम देश के अंदर एक आधुनिक तकनीकी युक्त संसद भवन के अंदर बैठें।

इसलिए मैं, प्रधान मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि वे आजादी के 75 वर्ष सन् 2022 में पूरे होने पर नव भारत के इस संकल्प को पूरा करने का प्रयास करें। मुझे आशा है कि जिसका सपना हम सब देखते थे और कई माननीय सदस्य मुझे कहते थे कि मैं इस पोल के पीछे बैठा हूँ, नई तकनीकी नहीं है, ये सब विषय कई माननीय सदस्यों ने यहाँ पर समय–समय पर कहे थे।

यह सभा माननीय प्रधान मंत्री जी से आग्रह करती है कि आजादी के 75 वर्ष, जो वर्ष 2022 में होंगे, तो संसद के नए स्वरूप में हम सब यहां बैठें, आधुनिक तकनीकी के साथ बैठें, नई सुसज्जित व्यवस्था हो और पूरे विश्व के अन्दर भारत का यह संसद का मंदिर सबसे भव्य हो, इसमें हम सबकी सहमति है।

इसके पश्चात् माननीय लोक सभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति ने 19 मार्च 2020 को इस मामले पर आगे विचार किया। 40 सदस्यीय इस समिति में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, संसदीय समितियों के सभापति और संसदीय मामलों के मंत्री शामिल हैं। इस समिति ने नए संसद भवन के डिजाइन, सुविधाओं और संरचना के बारे में विस्तृत प्रस्ताव तैयार किए। यह सिफारिश भी की गई कि नए संसद भवन में पूरे देश के दस्तकार और शिल्पकार अपना योगदान करें जिससे इस भवन में भारत की सांस्कृतिक विविधता का समावेश हो।

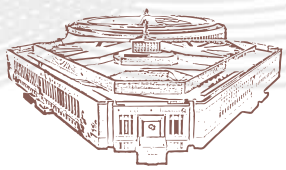

सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति की सिफारिशें

∧ माननीय लोक सभा अध्यक्ष, 19 मार्च 2020 को संसद भवन में, सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति की अध्यक्षता करते हुए

- नए संसद भवन में भारत की संस्कृति और परंपरा की झलक होनी चाहिए। संसद के समृद्ध इतिहास को ध्यान में रखते हुए नए भवन में और विशेष रूप से लोक सभा और राज्य सभा के भीतर उपयोग में लाए जाने वाले फर्नीचर, पैनल और निर्माण सामग्री आदि परंपरागत भारतीय स्वरूप के होने चाहिए।
- केंद्रीय कक्ष दोनों सभाओं के सभी राजनीतिक दलों के सांसदों के बीच अनौपचारिक विचार–विमर्श के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसके ऐतिहासिक महत्व और उपयोगिता को देखते हुए नए संसद भवन में भी ऐसी ही सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- नए संसद भवन में पूरे देश के समृद्ध कलारूपों को उपयुक्त रूप से दर्शाया जाना चाहिए।

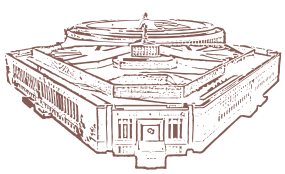

- वर्तमान संसद भवन को आधुनिक भवन में परिवर्तित करने के लिए इसके पुनः विकास की संभावना पर विचार किया जा सकता है जैसाकि यूके और जर्मनी में किया गया है।
- चूंकि संसद लोकतंत्र का मंदिर है, इसलिए संसद में आने वाले आम लोगों के लिए भी पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- संसद के प्रभावी कार्यकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संसद के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- नए संसद भवन के विकास के बारे में हितधारकों से विचार–विमर्श करने के लिए एक अलग समिति का गठन किया जाए जो सभी संगत पहलुओं पर विचार करेगी।
- नए संसद भवन की दीवारों पर वैदिक मंत्र उत्कीर्ण किए जाने चाहिए जैसाकि वर्तमान भवन में किया गया है।
- वाहन में चढ़ने के स्थान से सुरंग के जरिए चेंबर तक आने–जाने के लिए इलेक्ट्रिक कार के उपयोग में समस्याएं आ सकती हैं। आने–जाने के लिए बेहतर प्रणाली पर विचार किया जाए।
- सुरंग के भीतर पैदल चलने वालों के लिए विशेष पथ की व्यवस्था की जाए ताकि सांसद भवन तक चल कर जा सकें।
- माननीय अध्यक्ष के कक्ष में गोल मेज की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- लोक सभा और राज्य सभा कक्षों के नजदीक सभागार, स्पिरिचुअल ब्लॉक, धूम्रपान कक्ष, अध्ययन कक्ष और लाउंज की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- नए संसद भवन में वर्षा जल संचयन प्रणाली की व्यवस्था की जानी चाहिए।

V माननीय लोक सभा अध्यक्ष सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति के सदस्यों के साथ

सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति की उपरोक्त बैठक के अतिरिक्त, माननीय उप-राष्ट्रपति एवं राज्य सभा के सभापति और माननीय लोक सभा अध्यक्ष ने नए संसद भवन के निर्माण और रूपरेखा से संबंधित पहलुओं पर विचार करने के लिए आपस में बैठकें की।

माननीय लोक सभा अध्यक्ष ने नए संसद भवन के शिलान्यास से पहले तैयारियों की समीक्षा के लिए कई औपचारिक और अनौपचारिक बैठकें की। इसमें माननीय केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्री हरदीप सिंह पुरी, उनके मंत्रालय के अधिकारियों, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग व अन्य एजेंसियों के साथ 23 अक्तूबर 2020 को की गई बैठक शामिल है। माननीय अध्यक्ष ने 7 नवंबर 2020 को संसद परिसर का दौरा करके संबंधित एजेंसियों के अधिकारियों को दिशानिर्देश दिए।

V माननीय लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला, 7 नवंबर 2020 को संसद परिसर के दौरे के दौरान संबंधित अधिकारियों को दिशानिर्देश देते हुए

नए संसद भवन का शिलान्यास

माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने संसद भवन परिसर में 10 दिसंबर 2020 को माननीय लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला की गरिमामयी उपस्थिति में नए संसद भवन का शिलान्यास किया। केंद्रीय मंत्री, संसद सदस्यगण एवं अन्य विशिष्ट अतिथिगण भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।

नए संसद भवन के शिलान्यास की पूर्व संध्या पर माननीय लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला ने भारत के माननीय राष्ट्रपति, श्री राम नाथ कोविन्द से भेंट करके इस ऐतिहासिक अवसर पर शुभकामना संदेश देने का अनुरोध किया।

इस अवसर पर राज्य सभा के माननीय उपसभापति, श्री हरिवंश ने भारत के राष्ट्रपति एवं उप-राष्ट्रपति के संदेशों का वाचन किया।

V माननीय राष्ट्रपति, श्री राम नाथ कोविन्द से माननीय लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला ने भेंट की

भारत के माननीय राष्ट्रपति का संदेश

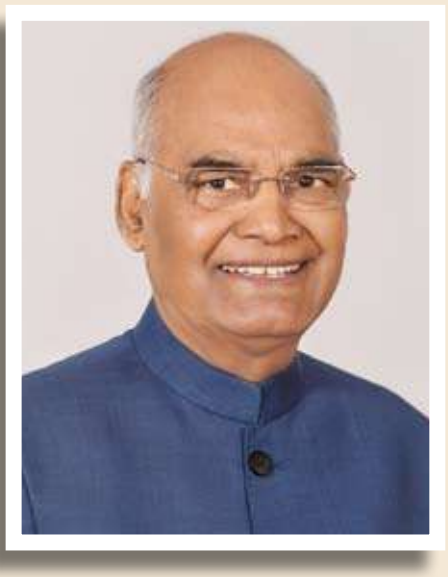

"वर्तमान संसद भवन के साथ खड़ा यह नया भवन हमारे अतीत को हमारे भविष्य के साथ निर्बाध रूप से जोड़ेगा।"

नए संसद भवन के शिलान्यास का यह ऐतिहासिक क्षण निस्संदेह हमारे सशक्त और जीवंत लोकतन्त्र के लिए मील का पत्थर है। इस प्रक्रिया में अतीत को विस्मृत न करते हुए हम अपनी विरासत का बेहतर ढंग से संरक्षण कर पाएंगे। वर्तमान संसद भवन के साथ खड़ा यह नया भवन हमारे अतीत को हमारे भविष्य के साथ निर्बाध रूप से जोड़ेगा। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि नए संसद परिसर की रूपरेखा और साज–सज्जा में हमारी क्षेत्रीय कलाओं, शिल्पों, टेक्सटाइल, वास्तुशिल्प और संस्कृति की झलक होगी। इस प्रकार यह भवन विविधता में एकता के साथ ही हमारे परंपरागत आदर्शों और नए भारत के मूल्यों को अभिव्यक्त करेगा।

हमारी राष्ट्रीय पहचान के अभिनव प्रतीक, नए संसद भवन का निर्माण 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा जो हमारी स्वतन्त्रता के 75 वर्ष के पर्व के शुभ अवसर पर राष्ट्र के लिए एक अनुपम भेंट होगा। मैं इतनी वृहत और महत्वपूर्ण परियोजना को मूर्त रूप देने के लिए आपको बधाई देता हूँ। नए संसद भवन के सफलतापूर्वक निर्माण के लिए मेरी शुभकामनाएं। यह भवन 135 करोड़ भारतीयों की ऐसी रचना होगी जिससे दुनिया में सबसे विशाल और प्रेरणादायी लोकतंत्र के रूप में भारत का स्थान और सुदृढ़ होगा।

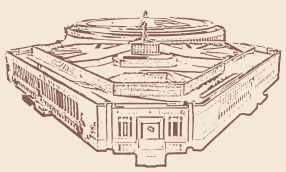

भारत के माननीय उप-राष्ट्रपति का संदेश

आशा है कि आपकी युगांतरकारी संकल्पना 'सत्संकल्प' 'सिद्धि' में परिणत होगी और नई संसद में हमारे जनप्रतिनिधियों को लोकहित के मुद्दों पर वाद-विवाद करने के लिए अनुकूल स्थान मिलेगा।

अपनी संसदीय प्रणाली को सुदृढ़ करते हुए और इसे और सशक्त बनाते हुए मैं यह आशा करता हूँ कि नया संसद भवन हम सबके लिए एक ऐसा पावन स्थल होगा जहां हम भारत के लोकतांत्रिक आधार को सुदृढ़ करने के साथ ही इसे तीव्र, सतत और समावेशी विकास के पथ पर अग्रसर करेंगे। यह एक ऐसा मंच होगा जहां हम राज्यव्यवस्था की गुणवत्ता और देश के प्रत्येक नागरिक के जीवन को और बेहतर बनाने के लिए वाद–विवाद और संवाद, तर्क-वितर्क और सहमति, विश्लेषण और संश्लेषण की प्राचीन भारतीय परंपराओं को विकसित करेंगे।

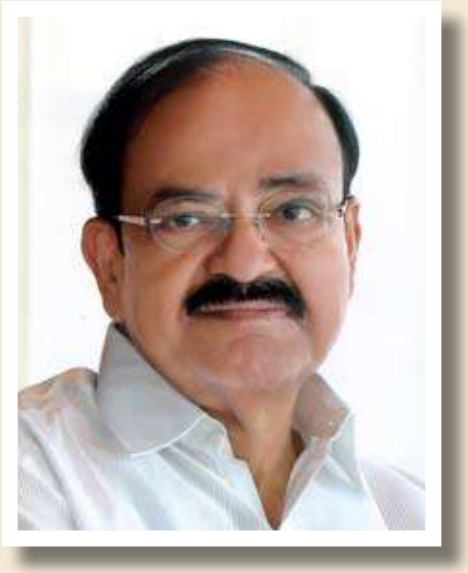

"नया संसद भवन हम सबके लिए एक ऐसा पावन स्थल होगा जहां हम भारत के लोकतांत्रिक आधार को सुदृढ़ करने के साथ ही इसे तीव्र, सतत और समावेशी विकास के पथ पर अग्रसर करेंगे।"

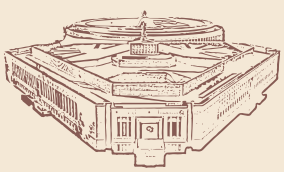

इससे पहले माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने नए संसद भवन का भूमि पूजन किया और भवन का शिलान्यास किया। माननीय लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला एवं अन्य विशिष्टजन भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तत्पश्चात् माननीय प्रधान मंत्री ने इस अवसर पर एक स्मृति पट्टिका (प्लॉक) का अनावरण किया। माननीय प्रधान मंत्री और माननीय लोक सभा अध्यक्ष ने समारोह में उपस्थित विशिष्टजनों को संबोधित भी किया।

इस शुभ अवसर पर विभिन्न धर्म गुरुओं ने सर्व धर्म प्रार्थना की। प्रस्तावित संसद भवन के विविध आयामों संबंधी एक लघु फिल्म भी दिखाई गई।

^ माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी नए संसद भवन के भूमि पूजन के लिए जाते हुए

∧ माननीय प्रधान मंत्री नए संसद भवन का भूमि पूजन करते हुए ∨

^ माननीय प्रधान मंत्री नए संसद भवन का भूमि पूजन करते हुए

v माननीय लोक सभा अध्यक्ष नए संसद भवन का भूमि पूजन करते हुए

^ मंचासीन विशिष्टजन

v सर्वधर्म प्रार्थना करते हुए धर्मगुरू

▲ माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी नए संसद भवन की स्मृति पट्टिका का अनावरण करते हुए

^ माननीय लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला

माननीय लोक सभा अध्यक्ष का संबोधन

माननीय प्रधान मंत्री महोदय, यहां उपस्थित गण्यमान्य अतिथिगण, वर्चुअल माध्यम से देश–विदेश से जुड़े सभी अतिथिगण, देवियो और सज्जनोः

आज देश के लिए गौरव का दिन है। भारत के लोकतंत्र की मजबूती के स्तंभ, संसद के नए भवन के शिलान्यास के अवसर पर मैं समस्त देशवासियों का अभिनंदन करता हूं।

लोकतंत्र की 70 वर्षों की यात्रा में भारत के नागरिक, न्याय, स्वतंत्रता, पंथ निरपेक्षता, समता, एकता, अखण्डता और बंधुत्व की भावना के प्रति संकल्पित रहे हैं।

हमारे वर्तमान संसद भवन का निर्माण 1927 में केंद्रीय लेजिस्लेटिव एसेंबली के रूप में हुआ जिसे अब 93 वर्ष हो चुके हैं। हमारी संसद लोगों के विश्वास और आकांक्षाओं का प्रतीक है। संसद भवन देश की आजादी, संविधान की रचना और अनेक ऐतिहासिक कानूनों के निर्माण का साक्षी भी रहा है।

"लोकतंत्र की 70 वर्षों की यात्रा में भारत के नागरिक, न्याय, स्वतंत्रता, पंथ निरपेक्षता, समता, एकता, अखण्डता और बंधुत्व की भावना के प्रति संकल्पित रहे हैं।"

लोकतंत्र के बढ़ते स्वरूप ने संसद और सांसदों का उत्तरदायित्व बढ़ाया है। भविष्य में हमारे संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए भवन में विस्तार की संभावना नहीं है। ऐसे में एक नए संसद भवन की आवश्यकता है।

संसद के दोनों सदनों के माननीय सदस्यों की यह इच्छा थी कि विश्व के सबसे बड़े कार्यशील एवं जीवंत लोकतंत्र के लिए नए संसद भवन का निर्माण हो, जो भारतीय संस्कृति की विविधता समेटते हुए भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर सके।

पिछले साल 5 अगस्त को संसद के दोनों सदनों ने माननीय प्रधान मंत्री जी से संसद के नए भवन के निर्माण के लिए आग्रह किया था। हमारे देश का लोकतंत्र परिपक्व हो चुका है। हम आजादी के 75 वर्ष पूर्ण करने

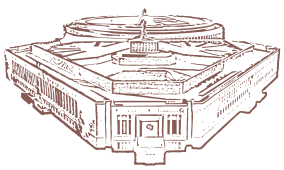

जा रहे हैं। नए भारत में विकास के नए आयाम भी हमने तय किए हैं। देश की जनता का सपना है कि उन्हें संसद का एक नया और आधुनिक भवन मिले।

माननीय सांसदों एवं सदन की भावनाओं को देखते हुए माननीय प्रधान मंत्री जी ने नए संसद भवन के निर्माण की स्वीकृति दी और आज वह शुभ दिन आया है जब उनके कर-कमलों से नए संसद भवन का भूमिपूजन और शिलान्यास हो रहा है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने संसद के दोनों सदनों की भावनाओं का सम्मान किया, इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं।

''भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे संवैधानिक मूल्य और लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं विश्व के लिए आदर्श हैं जिसे देखने और समझने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं।''

मुझे विश्वास है कि हम जल्द ही आधुनिक तकनीकयुक्त, सुरक्षित व पर्यावरण अनुकूल नए संसद भवन का निर्माण कार्य पूर्ण करने में सफल होंगे, जहां जनप्रतिनिधि जनता की आशाओं, अपेक्षाओं और उम्मीदों को कुशलता और दक्षता से पूरा कर पाएंगे।

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे संवैधानिक मूल्य और लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं विश्व के लिए आदर्श हैं जिसे देखने और समझने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं।

संसद का नया भवन देश के सभी प्रांतों की उत्कृष्ट कला, संस्कृति और विविधताओं से परिपूर्ण होगा और सभी देशवासियों की प्रेरणा का केंद्र होगा।

इस अवसर पर मैं माननीय राष्ट्रपति जी तथा माननीय उप-राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देता हूँ जिनके आशीर्वचन तथा प्रेरणादायी सन्देश हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते हैं।

मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का पुनः आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने आज 'नए आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत' की संसद के नए भवन की नींव रखी है। मेरी कामना है कि यह भवन पूरे विश्व को अनादि काल तक संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों का आदर्श संदेश देता रहे।

जय हिन्द।

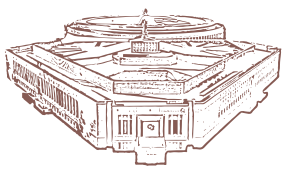

^ शिलान्यास समारोह में उपस्थित विशिष्टजन v

माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी

माननीय प्रधान मंत्री का उद्‌बोधन

लोक सभा के अध्यक्ष, श्रीमान ओम बिरला जी, राज्य सभा के उपसभापति, श्रीमान हरिवंश जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे साथी, श्री प्रह्लाद जोशी जी, श्री हरदीप सिंह पुरी जी, अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिगण, वर्चुअल माध्यम से जुड़े अनेक देशों की पार्लियामेंट के स्पीकर्स, यहां उपस्थित अनेक देशों के एंबेसेडर्स, Inter Parliamentary Union के मेंबर्स, अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे देशवासियोः

आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। आज का दिन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में मील के पत्थर की तरह है। भारतीयों द्वारा, भारतीयता के विचार से ओत–प्रोत, भारत के संसद भवन के निर्माण का शुभारंभ हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के सबसे अहम पड़ाव में से एक है। हम भारत के लोग मिलकर अपनी संसद के इस नए भवन को बनाएंगे।

"भारतीयों द्वारा, भारतीयता के विचार से ओत-प्रोत, भारत के संसद भवन के निर्माण का शुभारंभ हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के सबसे अहम पड़ाव में से एक है।"

साथियो, इससे सुंदर क्या होगा, इससे पवित्र क्या होगा कि जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मनाए, तो उस पर्व की साक्षात् प्रेरणा, हमारी संसद की नई इमारत बने। आज 130 करोड़ से ज्यादा भारतीयों के लिए बड़े सौभाग्य का दिन है, गर्व का दिन है जब हम इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं।

साथियो, नए संसद भवन का निर्माण, नूतन और पुरातन के सह–अस्तित्व का उदाहरण है। ये समय और जरूरतों के अनुरूप खुद में परिवर्तन लाने का प्रयास है। मैं अपने जीवन में वो क्षण कभी नहीं भूल सकता जब 2014 में पहली बार एक सांसद के तौर पर मुझे संसद भवन में आने का अवसर मिला था। तब लोकतंत्र के इस मंदिर में कदम रखने से पहले, मैंने सिर झुकाकर, माथा टेककर लोकतंत्र के इस मंदिर को नमन किया था। हमारे वर्तमान संसद भवन ने आजादी के आंदोलन और फिर स्वतंत्र भारत को गढ़ने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। आजाद भारत की पहली सरकार का गठन भी यहीं हुआ और पहली संसद भी यहीं बैठी। इसी संसद भवन में हमारे संविधान की रचना हुई, हमारे लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हुई। बाबा साहेब अंबेडकर और अन्य वरिष्ठों ने सेंट्रल हॉल में गहन मंथन के बाद हमें अपना संविधान दिया। संसद की

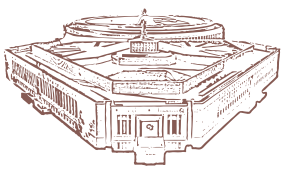

मौजूदा इमारत, स्वतंत्र भारत के हर उतार–चढ़ाव, हमारी हर चुनौतियों, हमारे समाधान, हमारी आशाओं, आकांक्षाओं, हमारी सफलता का प्रतीक रही है। इस भवन में बना प्रत्येक कानून, इन कानूनों के निर्माण के दौरान संसद भवन में कही गईं अनेक गहरी बातें, ये सब हमारे लोकतंत्र की धरोहर हैं।

"... ये हम सभी का दायित्व बनता है कि 21वीं सदी के भारत को अब एक नया संसद भवन मिले। इसी दिशा में आज ये शुभारंभ हो रहा है। और इसलिए, आज जब हम एक नए संसद भवन का निर्माण कार्य शुरू कर रहे हैं, तो वर्तमान संसद परिसर के जीवन में नए वर्ष भी जोड़ रहे हैं।"

साथियो, संसद के शक्तिशाली इतिहास के साथ ही यथार्थ को भी स्वीकारना उतना ही आवश्यक है। ये इमारत अब करीब–करीब सौ साल की हो रही है। बीते दशकों में इसे तत्कालीन जरूरतों को देखते हुए निरंतर अपग्रेड किया गया। इस प्रक्रिया में कितनी ही बार दीवारों को तोड़ा गया है। कभी नया साउंड सिस्टम, कभी फायर सेफ्टी सिस्टम, कभी IT सिस्टम। लोक सभा में बैठने की जगह बढ़ाने के लिए तो दीवारों को भी हटाया गया है। इतना कुछ होने के बाद संसद का ये भवन अब विश्राम मांग रहा है। अभी लोक सभा अध्यक्ष जी भी बता रहे थे कि किस तरह बरसों से मुश्किलों भरी स्थिति रही है, बरसों से नए संसद भवन की जरूरत महसूस की गई है। ऐसे में ये हम सभी का दायित्व बनता है कि 21वीं सदी के भारत को अब एक नया संसद भवन मिले। इसी दिशा में आज ये शुभारंभ हो रहा है। और इसलिए, आज जब हम एक नए संसद भवन का निर्माण कार्य शुरू कर रहे हैं, तो वर्तमान संसद परिसर के जीवन में नए वर्ष भी जोड़ रहे हैं।

साथियो, नए संसद भवन में ऐसी अनेक नई चीजें की जा रही हैं जिससे सांसदों की Efficiency बढ़ेगी, उनके Work Culture में आधुनिक तौर–तरीके आएंगे। अब जैसे अपने सांसदों से मिलने के लिए उनके संसदीय क्षेत्र से लोग आते हैं तो अभी जो संसद भवन है, उसमें लोगों को बहुत दिक्कत होती है, आम जनता को दिक्कत होती है, नागरिकों को दिक्कत होती है, आम जनता को अपनी कोई परेशानी अपने सांसद को बतानी है, कोई सुख–दुख बांटना है, तो इसके लिए भी संसद भवन में स्थान की बहुत कमी महसूस होती है। भविष्य में प्रत्येक सांसद के पास ये सुविधा होगी कि वो अपने क्षेत्र के लोगों से यहीं निकट में ही इसी विशाल परिसर के बीच में उनको एक व्यवस्था मिलेगी ताकि वो अपने संसदीय क्षेत्र से आए लोगों के साथ उनके सुख–दुख बांट सकें।

साथियो, पुराने संसद भवन ने स्वतंत्रता के बाद के भारत को दिशा दी तो नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा। पुराने संसद भवन में देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम हुआ, तो नए भवन में 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी की जाएंगी। जैसे आज इंडिया गेट से आगे नेशनल वॉर मेमोरियल ने राष्ट्रीय पहचान बनाई है, वैसे ही

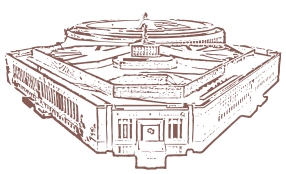

संसद का नया भवन अपनी पहचान स्थापित करेगा। देश के लोग, आने वाली पीढ़ियां नए भवन को देखकर गर्व करेंगी कि ये स्वतंत्र भारत में बना है, आजादी के 75 वर्ष का स्मरण करते हुए इसका निर्माण हुआ है।

साथियो, संसद भवन की शक्ति का स्रोत, उसकी ऊर्जा का स्रोत, हमारा लोकतंत्र है। आजादी के समय किस तरह से एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में भारत के अस्तित्व पर संदेह और शंकाएं जताई गई थीं, ये इतिहास का हिस्सा है। अशिक्षा, गरीबी, सामाजिक विविधता और अनुभवहीनता जैसे अनेक तर्कों के साथ ये भविष्यवाणी भी कर दी गई थी कि भारत में लोकतंत्र असफल हो जाएगा। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे देश ने उन आशंकाओं को न सिर्फ गलत सिद्ध किया है बल्कि 21वीं सदी की दुनिया भारत को एक अहम लोकतांत्रिक ताकत के रूप में आगे बढ़ते हुए देख भी रही है।

"पुराने संसद भवन में देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम हुआ, तो नए भवन में 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी की जाएंगी।"

साथियो, लोकतंत्र भारत में क्यों सफल हुआ, क्यों सफल है और क्यों कभी लोकतंत्र पर आंच नहीं आ सकती, ये बात हमारी हर पीढ़ी को भी जानना–समझना बहुत आवश्यक है। हम देखते–सुनते हैं, दुनिया में 13वीं शताब्दी में रचित मैग्ना कार्टा की बहुत चर्चा होती है, कुछ विद्वान इसे लोकतंत्र की बुनियाद भी बताते हैं। लेकिन ये भी बात उतनी ही सही है कि मैग्ना कार्टा से भी पहले 12वीं शताब्दी में ही भारत में भगवान बसवेश्वर का 'अनुभव मंटपम' अस्तित्व में आ चुका था। 'अनुभव मंटपम' के रूप में उन्होंने लोक संसद का न सिर्फ निर्माण किया था बल्कि उसका संचालन भी सुनिश्चित किया था। और भगवान बसवेश्वर जी ने कहा था–

यी अनुभवा मंटप जनसभा,
नादिना मटदु राष्ट्रधा उन्नतिगे हागू,
अभिवृध्दिगे पूरकावगी केलसा मादुत्थादे!

यानि ये अनुभव मंटपम, एक ऐसी जनसभा है जो राज्य और राष्ट्र के हित में और उनकी उन्नति के लिए सभी को एकजुट होकर काम करने के लिए प्रेरित करती है। अनुभव मंटपम, लोकतंत्र का ही तो एक स्वरूप था।

साथियो, इस कालखंड के भी और पहले जाएं तो तमिलनाडु में चेन्नई से 80–85 किलोमीटर दूर उत्तरामेरुर नाम के गांव में एक बहुत ही ऐतिहासिक साक्ष्य दिखाई देता है। इस गांव में चोल साम्राज्य के दौरान 10वीं शताब्दी में पत्थरों पर तमिल में लिखी गई पंचायत व्यवस्था का वर्णन है और इसमें बताया गया है कि कैसे हर गांव को कुडुंबु में कैटेगराइज किया जाता

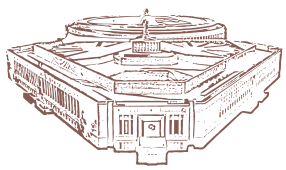

था, जिनको हम आज वार्ड कहते हैं। इन कुडुंबुओं से एक–एक प्रतिनिधि महासभा में भेजा जाता था, और जैसा आज भी होता है। इस गांव में हजार वर्ष पूर्व जो महासभा लगती थी, वो आज भी वहां मौजूद है।

"भारत के लिए लोकतंत्र जीवन मूल्य है, जीवन पद्धति है, राष्ट्र जीवन की आत्मा है। भारत का लोकतंत्र, सदियों के अनुभव से विकसित हुई व्यवस्था है। भारत के लिए लोकतंत्र में, जीवन मंत्र भी है, जीवन तत्व भी है और साथ ही व्यवस्था का तंत्र भी है।"

साथियो, एक हजार वर्ष पूर्व बनी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक और बात बहुत महत्वपूर्ण थी। उस पत्थर पर लिखा हुआ है उस आलेख में वर्णन है इसका और उसमें कहा गया है कि जनप्रतिनिधि को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करने का भी प्रावधान था उस जमाने में, और नियम क्या था– नियम ये था कि जो जनप्रतिनिधि अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देगा, वो और उसके करीबी रिश्तेदार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कितने सालों पहले सोचिए, कितनी बारीकी से उस समय पर हर पहलू को सोचा गया, समझा गया, अपनी लोकतांत्रिक परंपराओं का हिस्सा बनाया गया।

साथियो, लोकतंत्र का हमारा ये इतिहास देश के हर कोने में नजर आता है, कोने–कोने में नजर आता है। कुछ शब्दों से तो हम बराबर परिचित हैं– सभा, समिति, गणपति, गणाधिपति, ये शब्दावली हमारे मन–मस्तिष्क में सदियों से प्रवाहित है। सदियों पहले शाक्य, मल्लम और वेज्जी जैसे गणतंत्र हों, लिच्छवी, मल्लक, मरक और कम्बोज जैसे गणराज्य हों या फिर मौर्य काल में कलिंग, सभी ने लोकतंत्र को ही शासन का आधार बनाया था। हजारों साल पहले रचित हमारे वेदों में से ऋग्वेद में लोकतंत्र के विचार को समज्ञान यानि समूह चेतना, Collective Consciousness के रूप में देखा गया है।

साथियो, आमतौर पर अन्य जगहों पर जब डेमोक्रेसी की चर्चा होती है तो ज्यादातर चुनाव, चुनाव की प्रक्रिया, इलेक्टेड मेंबर्स, उनके गठन की रचना, शासन–प्रशासन, लोकतंत्र की परिभाषा इन्हीं चीजों के आसपास रहती है। इस प्रकार की व्यवस्था पर अधिक बल देने को ही ज्यादातर स्थानों पर उसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। लेकिन भारत में लोकतंत्र एक संस्कार है। भारत के लिए लोकतंत्र जीवन मूल्य है, जीवन पद्धति है, राष्ट्र जीवन की आत्मा है। भारत का लोकतंत्र, सदियों के अनुभव से विकसित हुई व्यवस्था है। भारत के लिए लोकतंत्र में, जीवन मंत्र भी है, जीवन तत्व भी है और साथ ही व्यवस्था का तंत्र भी है। समय–समय पर

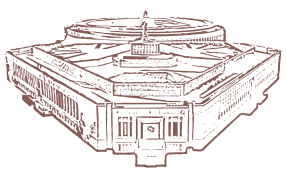

इसमें व्यवस्थाएं बदलती रहीं, प्रक्रियाएं बदलती रहीं लेकिन आत्मा लोकतंत्र ही रही। और विडंबना देखिए, आज भारत का लोकतंत्र हमें पश्चिमी देशों से समझाया जाता है। जब हम विश्वास के साथ अपने लोकतांत्रिक इतिहास का गौरवगान करेंगे, तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया भी कहेगी– India is Mother of Democracy.

"जब हम विश्वास के साथ अपने लोकतांत्रिक इतिहास का गौरवगान करेंगे, तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया भी कहेगी - India is Mother of Democracy"

साथियो, भारत के लोकतंत्र में समाहित शक्ति ही देश के विकास को नई ऊर्जा दे रही है, देशवासियों को नया विश्वास दे रही है। दुनिया के अनेक देशों में जहां लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को लेकर अलग स्थिति बन रही है, वहीं भारत में लोकतंत्र नित्य नूतन हो रहा है। हाल के बरसों में हमने देखा है कि कई लोकतांत्रिक देशों में अब वोटर टर्नआउट लगातार घट रहा है। इसके विपरीत भारत में हम हर चुनाव के साथ वोटर टर्नआउट को बढ़ते हुए देख रहे हैं। इसमें भी महिलाओं और युवाओं की भागीदारी निरंतर बढ़ती जा रही है।

साथियो, इस विश्वास की, इस आस्था की वजह है। भारत में लोकतंत्र, हमेशा से ही गवर्नेंस के साथ ही मतभेदों और विरोधाभासों को सुलझाने का महत्वपूर्ण माध्यम भी रहा है। अलग–अलग विचार, अलग–अलग दृष्टिकोण, ये सब बातें एक vibrant democracy को सशक्त करते हैं। Differences के लिए हमेशा जगह हो लेकिन disconnect कभी ना हो, इसी लक्ष्य को लेकर हमारा लोकतंत्र आगे बढ़ा है। गुरू नानक देव जी ने भी कहा है–

"अलग-अलग विचार, अलग-अलग दृष्टिकोण, ये सब बातें एक vibrant democracy को सशक्त करते हैं।"

जब लगु दुनिआ रहीए नानक।
किछु सुणिए, किछु कहिए।

यानि जब तक संसार रहे तब तक संवाद चलते रहना चाहिए। कुछ कहना और कुछ सुनना, यही तो संवाद का प्राण है। यही लोकतंत्र की आत्मा है। Policies में अंतर हो सकता है, Politics में भिन्नता हो सकती है, लेकिन हम Public की सेवा के लिए हैं, इस अंतिम लक्ष्य में कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। वाद–संवाद संसद के भीतर हों या संसद के बाहर, राष्ट्रसेवा का संकल्प, राष्ट्रहित के प्रति समर्पण लगातार झलकना चाहिए। और इसलिए, आज जब नए संसद भवन का निर्माण शुरू हो रहा है, तो हमें याद रखना है कि वो लोकतंत्र जो संसद भवन के अस्तित्व का आधार है, उसके प्रति आशावाद को जगाए रखना हम सभी का दायित्व है। हमें यह हमेशा याद रखना है कि संसद पहुंचा हर प्रतिनिधि जवाबदेह है। ये जवाबदेही जनता के प्रति भी है और

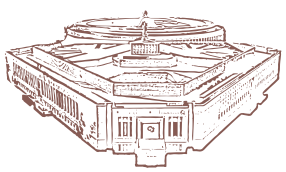

संविधान के प्रति भी है। हमारा हर फैसला राष्ट्र प्रथम की भावना से होना चाहिए, हमारे हर फैसले में राष्ट्रहित सर्वोपरि रहना चाहिए। राष्ट्रीय संकल्पों की सिद्धि के लिए हम एक स्वर में, एक आवाज में खड़े हों, ये बहुत जरूरी है।

साथियो, हमारे यहां जब मंदिर के भवन का निर्माण होता है तो शुरू में उसका आधार सिर्फ ईंट–पत्थर ही होता है। कारीगर, शिल्पकार, सभी के परिश्रम से उस भवन का निर्माण पूरा होता है। लेकिन वो भवन, एक मंदिर तब बनता है, उसमें पूर्णता तब आती है जब उसमें प्राण–प्रतिष्ठा होती है। प्राण–प्रतिष्ठा होने तक वो सिर्फ एक इमारत ही रहता है।

"वाद-संवाद संसद के भीतर हों या संसद के बाहर, राष्ट्रसेवा का संकल्प, राष्ट्रहित के प्रति समर्पण लगातार झलकना चाहिए।"

साथियो, नया संसद भवन भी बनकर तो तैयार हो जाएगा लेकिन वो तब तक एक इमारत ही रहेगा जब तक उसकी प्राण–प्रतिष्ठा नहीं होगी। लेकिन ये प्राण-प्रतिष्ठा किसी एक मूर्ति की नहीं होगी। लोकतंत्र के इस मंदिर में इसका कोई विधि–विधान भी नहीं है। इस मंदिर की प्राण–प्रतिष्ठा करेंगे इसमें चुनकर आने वाले जन-प्रतिनिधि। उनका समर्पण, उनका सेवाभाव इस मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा करेगा। उनका आचार–विचार–व्यवहार, इस लोकतंत्र के मंदिर की प्राण–प्रतिष्ठा करेगा। भारत की एकता–अखंडता को लेकर किए गए उनके प्रयास, इस मंदिर की प्राण–प्रतिष्ठा की ऊर्जा बनेंगे। जब एक–एक जनप्रतिनिधि, अपना ज्ञान, अपना कौशल्य, अपनी बुद्धि, अपनी शिक्षा, अपना अनुभव पूर्ण रूप से यहां निचोड़ देगा, राष्ट्रहित में निचोड़ देगा, उसी का अभिषेक करेगा, तब इस नए संसद भवन की प्राण–प्रतिष्ठा होगी। यहां राज्य सभा, Council of States है, ये एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को बल देती है। राष्ट्र के विकास के लिए राज्य का विकास, राष्ट्र की मजबूती के लिए राज्य की मजबूती, राष्ट्र के कल्याण के लिए राज्य का कल्याण, इस मूलभूत सिद्धांत के साथ काम करने का हमें प्रण लेना है। पीढ़ी दर पीढ़ी, आने वाले कल में जो जन प्रतिनिधि यहां आएंगे, उनके शपथ लेने के साथ ही प्राण–प्रतिष्ठा के इस महायज्ञ में उनका योगदान शुरू हो जाएगा। इसका लाभ देश के कोटि–कोटि जनों को होगा। संसद की नई इमारत एक ऐसी तपोस्थली बनेगी जो देशवासियों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए काम करेगी, जनकल्याण का कार्य करेगी।

"हमें यह हमेशा याद रखना है कि संसद पहुंचा हर प्रतिनिधि जवाबदेह है। ये जवाबदेही जनता के प्रति भी है और संविधान के प्रति भी है।"

साथियो, 21वीं सदी भारत की सदी हो, ये हमारे देश के महापुरुषों और महान नारियों का सपना रहा है। लंबे समय से इसकी चर्चा हम सुनते आ रहे हैं। 21वीं सदी भारत की सदी तब बनेगी, जब भारत का एक–एक नागरिक अपने भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए अपना योगदान देगा। बदलते हुए

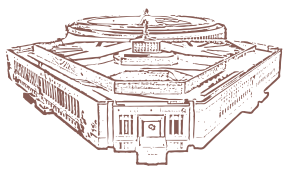

सत्यमेव जयते
Government Of

विश्व में भारत के लिए अवसर बढ़ रहे हैं। कभी–कभी तो लगता है जैसे अवसर की बाढ़ आ रही है। इस अवसर को हमें किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में हाथ से नहीं निकलने देना है। पिछली शताब्दी के अनुभवों ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। उन अनुभवों की सीख, हमें बार–बार याद दिला रही है कि अब समय नहीं गंवाना है, समय को साधना है।

साथियो, एक बहुत पुरानी और महत्वपूर्ण बात का मैं आज जिक्र करना चाहता हूं। वर्ष 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने देश की जनता के सामने, अगले 50 सालों के लिए एक आह्वान किया था और स्वामीजी ने कहा था कि आने वाले 50 सालों तक भारत माता की आराधना ही सर्वोपरि हो। देशवासियों के लिए उनका यही एक काम था भारत माता की आराधना करना। और हमने देखा उस महापुरुष की वाणी की ताकत, इसके ठीक 50 वर्ष बाद, 1947 में भारत को आजादी मिल गई थी। आज जब संसद के नए भवन का शिलान्यास हो रहा है, तो देश को एक नए संकल्प का भी शिलान्यास करना है। हर नागरिक को नए संकल्प का शिलान्यास करना है। स्वामी विवेकानंद जी के उस आह्वान को याद करते हुए हमें ये संकल्प लेना है। ये संकल्प हो India First का, भारत सर्वोपरि। हम सिर्फ और सिर्फ भारत की उन्नति, भारत के विकास को ही अपनी आराधना बना लें। हमारा हर फैसला देश की ताकत बढ़ाए। हमारा हर निर्णय, हर फैसला, एक ही तराजू में तौला जाए। और वो तराजू है–देश का हित सर्वोपरि, देश का हित सबसे पहले। हमारा हर निर्णय, वर्तमान और भावी पीढ़ी के हित में हो।

"हमारा हर निर्णय, हर फैसला, एक ही तराजू में तौला जाए। और वो तराजू है— देश का हित सर्वोपरि, देश का हित सबसे पहले।"

साथियो, स्वामी विवेकानंद जी ने तो 50 वर्ष की बात की थी। हमारे सामने 25–26 साल बाद आने वाली भारत की आजादी की सौवीं वर्षगांठ है। जब देश वर्ष 2047 में अपनी स्वतंत्रता के सौवें वर्ष में प्रवेश करेगा, तब हमारा देश कैसा हो, हमें देश को कहां तक ले जाना है, ये 25–26 वर्ष कैसे हमें खप जाना है, इसके लिए हमें आज संकल्प लेकर काम शुरू करना है। जब हम आज संकल्प लेकर देशहित को सर्वोपरि रखते हुए काम करेंगे तो देश का वर्तमान ही नहीं बल्कि देश का भविष्य भी बेहतर बनाएंगे। आत्मनिर्भर भारत का निर्माण, समृद्ध भारत का निर्माण, अब रुकने वाला नहीं है, कोई रोक ही नहीं सकता।

साथियो, हम भारत के लोग, ये प्रण करें–हमारे लिए देशहित से बड़ा और कोई हित कभी नहीं होगा। हम भारत के लोग, ये प्रण करें–हमारे लिए देश की चिंता, अपनी खुद की चिंता से बढ़कर होगी। हम भारत के लोग, ये प्रण करें– हमारे लिए देश की एकता, अखंडता से बढ़कर कुछ

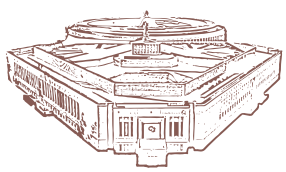

नहीं होगा। हम भारत के लोग, ये प्रण करें–हमारे लिए देश के संविधान की मान-मर्यादा और उसकी अपेक्षाओं की पूर्ति, जीवन का सबसे बड़ा ध्येय होगी। हमें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की ये भावना हमेशा याद रखनी है। और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की भावना क्या थी, गुरुदेव कहते थे–

एकोता उत्साहो धॉरो,
जातियो उन्नॉति कॉरो,
घुशुक भुबॉने शॉबे भारोतेर जॉय!

यानि एकता का उत्साह थामे रहना है। हर नागरिक उन्नति करे, पूरे विश्व में भारत की जय–जयकार हो!

मुझे विश्वास है, हमारी संसद का नया भवन, हम सभी को एक नया आदर्श प्रस्तुत करने की प्रेरणा देगा। हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता हमेशा और मजबूत होती रहे। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और 2047 के संकल्प के साथ पूरे के पूरे देशवासियों को चल पड़ने के लिए निमंत्रण देता हूं।

आप सबका बहुत–बहुत धन्यवाद।

इससे पहले माननीय केन्द्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्री हरदीप सिंह पुरी ने विशिष्टजनों का स्वागत किया तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री प्रहलाद जोशी ने धन्यवाद ज्ञापित किया ।

देश के विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधान परिषदों के सभापति/विधान सभाओं के अध्यक्ष और राज्य विधानमंडलों के उपसभापति/उपाध्यक्ष, नेशनल इन्फोर्मेटिक्स सेंटर द्वारा आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वर्चुअल रूप से इस समारोह में शामिल हुए। पूर्व प्रधानमंत्रियों, पूर्व लोक सभा अध्यक्षों सहित देश भर से विशिष्टजनों ने इस अवसर पर शुभकामना संदेश भेजे । विदेशों से भी अनेक शुभकामना संदेश प्राप्त हुए। सरकारी वीडियो पोर्टल के माध्यम से इस कार्यक्रम को वेबकास्ट भी किया गया ।

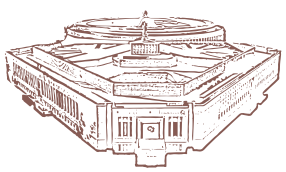

नया संसद भवनः मुख्य विशेषताएँ

नए संसद भवन का निर्माण वर्तमान संसद भवन के निकट किया जाएगा। नए भवन की स्थापत्य कला पुराने संसद भवन से मेल खाएगी। वर्तमान संसद भवन सहित नया संसद भवन, संसद परिसर का भाग होंगे। इस नए संसद भवन में मुख्य रूप से लोक सभा कक्ष, राज्य सभा कक्ष, केंद्रीय लाउंज एवं संविधान कक्ष शामिल होंगे।

नया संसद भवन भारत के लोकतंत्र और भारतवासियों के गौरव का प्रतीक होगा जो न केवल हमारे गौरवशाली इतिहास अपितु, देशवासियों की शक्ति, एकता और सांस्कृतिक विविधता को भी दर्शाएगा। इस चार मंजिला नए संसद भवन का निर्माण 64500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 971 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया जाएगा।

प्रस्तावित नए संसद भवन के लोक सभा कक्ष में 888 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी तथा संयुक्त सत्र के दौरान 1272 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी। इसी प्रकार, राज्य सभा कक्ष में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी।

इस भवन का निर्माण भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ तक पूरा किए जाने की संभावना है। आगामी वर्षों में प्रत्येक संसद सदस्य को पुनर्विकसित श्रम शक्ति भवन में कार्यालय के लिए 40 वर्ग मीटर स्थान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका निर्माण 2024 तक पूरा किया जाएगा।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग नए संसद भवन के निर्माण कार्य के निष्पादन के लिए नोडल एजेंसी है। अगले सौ वर्ष की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए नए संसद भवन की रूपरेखा मैसर्स एचसीपी डिजाइन, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार की और इसका निर्माण मैसर्स टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। विशेष रूप से नई दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के लिए निर्धारित भूकंप जोन–5 दिशानिर्देशों के अनुसार पर्याप्त रूप से भूकंप संबंधी सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं। नए भवन को सभी आधुनिक दृश्य–श्रव्य संचार सुविधाओं और डाटा नेटवर्क प्रणालियों से सुसज्जित किया जाएगा।

नए संसद भवन का निर्माण होने से, भारत की संसद जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों की संरक्षक तथा हमारे लोकतांत्रिक मानदंडों और आदर्शों की प्रतीक है, का कायाकल्प होना तय है और यह पहले की तुलना में और अधिक सुदृढ़ता से इक्कीसवीं सदी की चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार होगी।

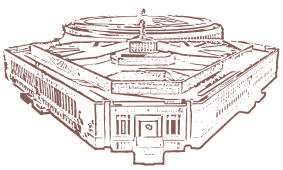

नए संसद भवन से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु

- इस भवन की संकल्पना सेंट्रल विस्टा में बनी हुई इमारतों की स्थापत्य कला से सामंजस्य रखते हुए की गई है।

- नया भवन त्रिकोणीय होगा जिसमें लोक सभा, राज्य सभा, केन्द्रीय लाउंज के साथ–साथ संवैधानिक प्राधिकारियों के कार्यालय होंगे। नये भवन में लोक सभा कक्ष का डिजाइन राष्ट्रीय पक्षी, मयूर को दृष्टिगत रखते हुए तैयार किया गया है जबकि राज्य सभा कक्ष का डिजाइन राष्ट्रीय पुष्प, कमल के समान होगा।

- पूरे भवन के डिजाइन में देश के महत्वपूर्ण हैरिटेज भवनों की स्थापत्य कला को ध्यान में रखा गया है।

- संसद सदस्यों के लिए लगभग 800 चैम्बर्स का निर्माण पुनर्विकसित श्रम शक्ति भवन में किया जाएगा। इनका निर्माण अप्रैल, 2022 में आरंभ होगा और मार्च 2024 तक संपन्न हो जाएगा।

- नए भवन के निर्माण के बाद भी पुराने भवन का उपयोग जारी रहेगा। दोनों भवन एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करेंगे। पूरे निर्माण कार्य में मौजूदा भवन की ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण का भी पूरा ध्यान रखा जायेगा।

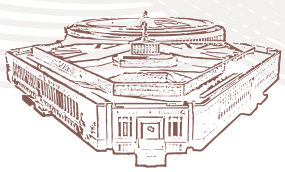

- यह सुनिश्चित करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं कि नए भवन के निर्माण के बाद भी मूल संसद भवन यथावत् दिखाई देता रहे । संसद परिसर में स्थित सभी प्रतिमाओं को भी गरिमा एवं प्रतिष्ठा के साथ पुनः स्थापित किया जाएगा।

- नए भवन के निर्माण कार्य को समय पर पूरा करने और इसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए लोक सभा सचिवालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों तथा सभी हितधारकों की एक निगरानी समिति का गठन किया जा रहा है।

- नए भवन में छह समिति कक्ष होंगे जबकि वर्तमान भवन में तीन समिति कक्ष हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्यों के लिए 92 कमरों की व्यवस्था की गई है।

- नए भवन में लोक सभा तथा राज्य सभा कक्ष में प्रत्येक बेंच पर एक साथ दो सदस्य बैठ सकेंगे तथा प्रत्येक सीट डिजिटल प्रणाली और टच स्क्रीन से सुसज्जित होगी।

- नए भवन में एक संविधान कक्ष होगा जहां देश की लोकतांत्रिक धरोहर को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सदस्यों के लिए पुस्तकालय, डाइनिंग रूम तथा पार्किंग की भी व्यवस्था रहेगी।

- नया भवन रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा वाटर रिसाइक्लिंग सिस्टम से सुसज्जित होगा। पूरे भवन में 100% यूपीएस पावर बैकअप की व्यवस्था होगी।

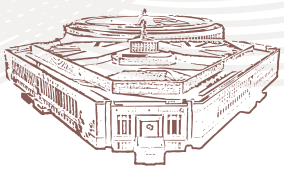

∧ नए संसद भवन और वर्तमान संसद भवन का विहंगम दृश्य

∧ नए संसद भवन और वर्तमान संसद भवन का एक अन्य विहंगम दृश्य

∧ नए संसद भवन और वर्तमान संसद भवन का एक अन्य दृश्य

∧ नए संसद भवन के प्रस्तावित अग्रभाग का दृश्य

∧ नए संसद भवन के प्रस्तावित अग्रभाग का एक अन्य दृश्य

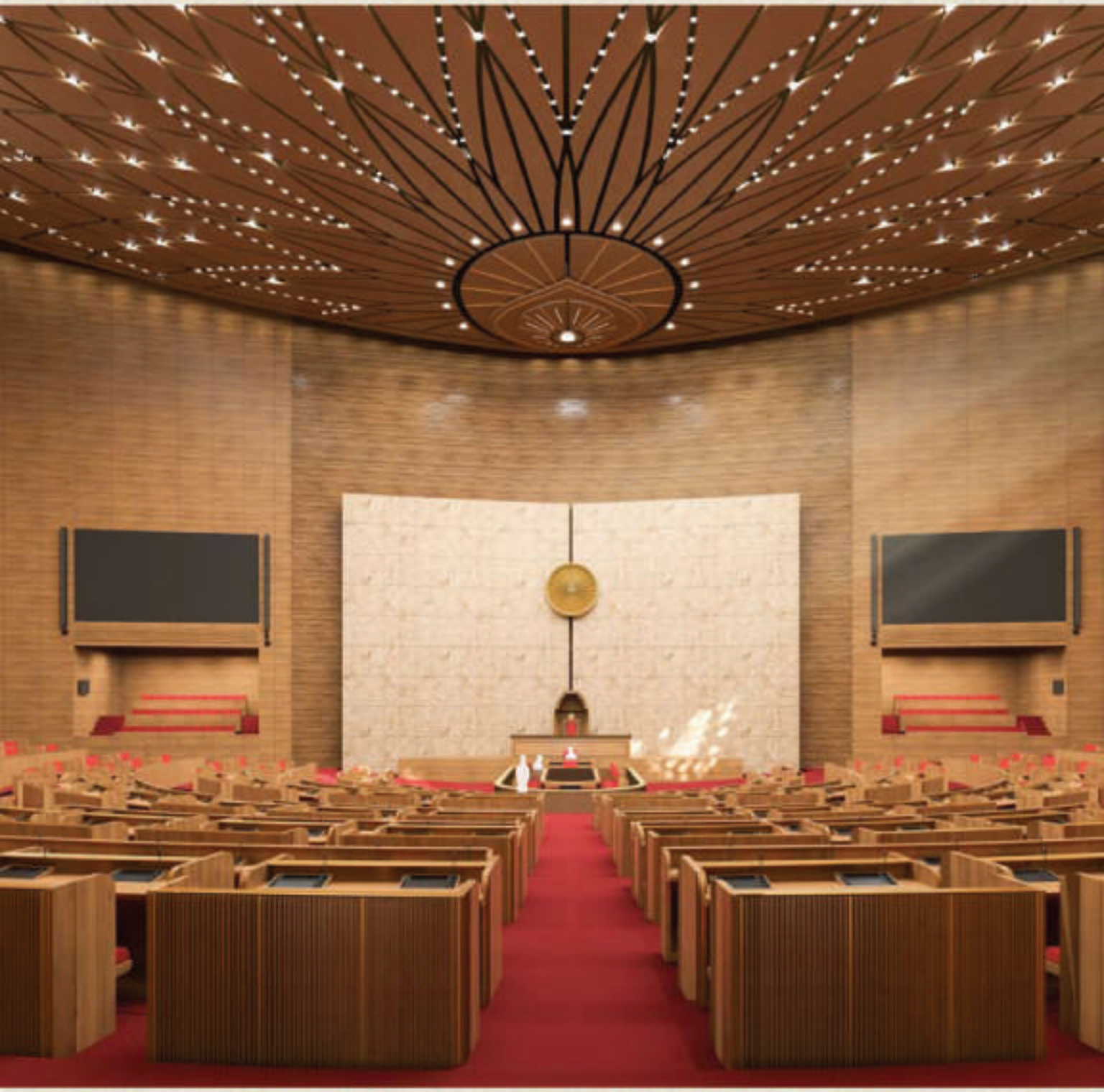

∧ प्रस्तावित राज्य सभा कक्ष के दृश्य

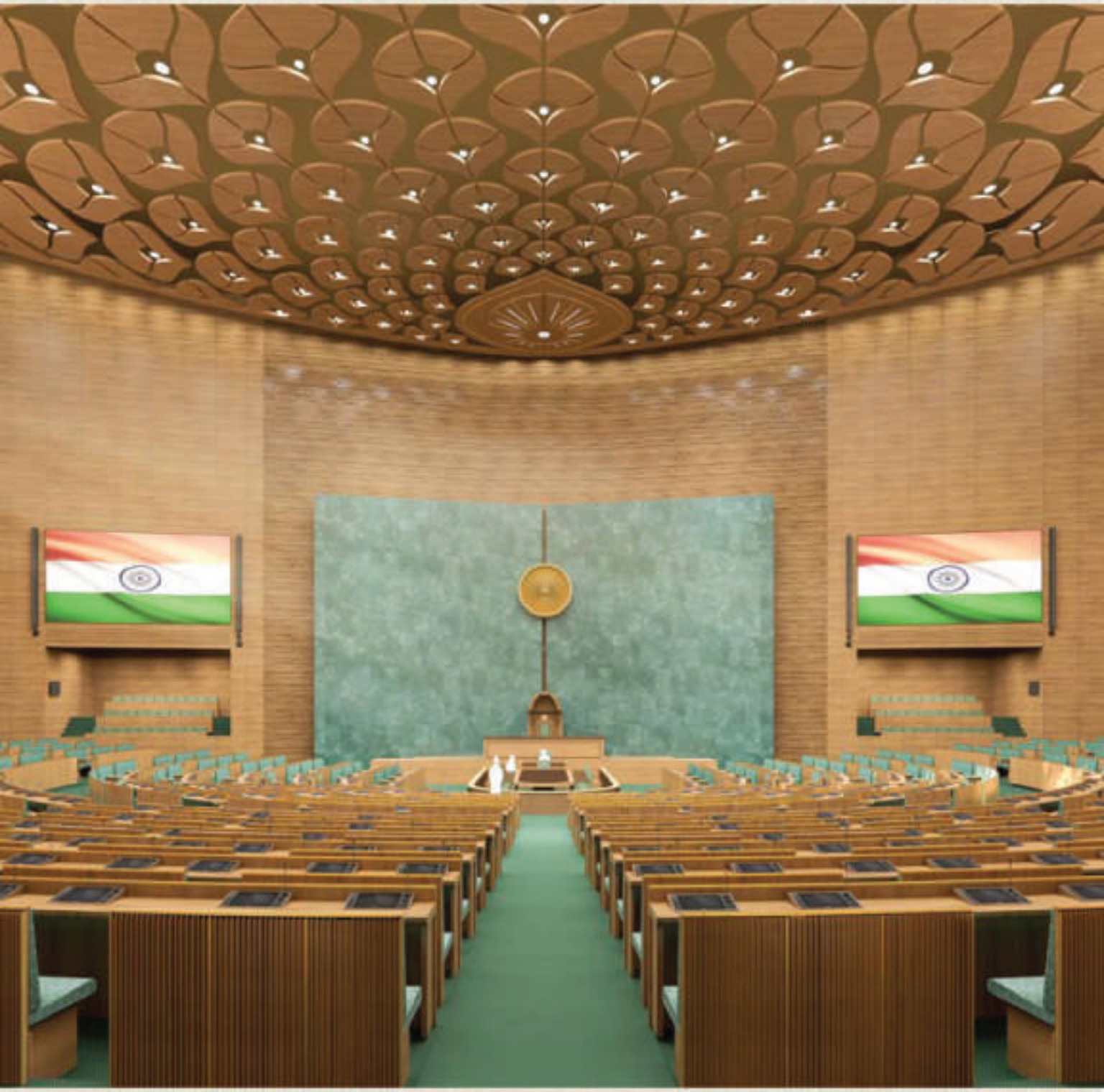

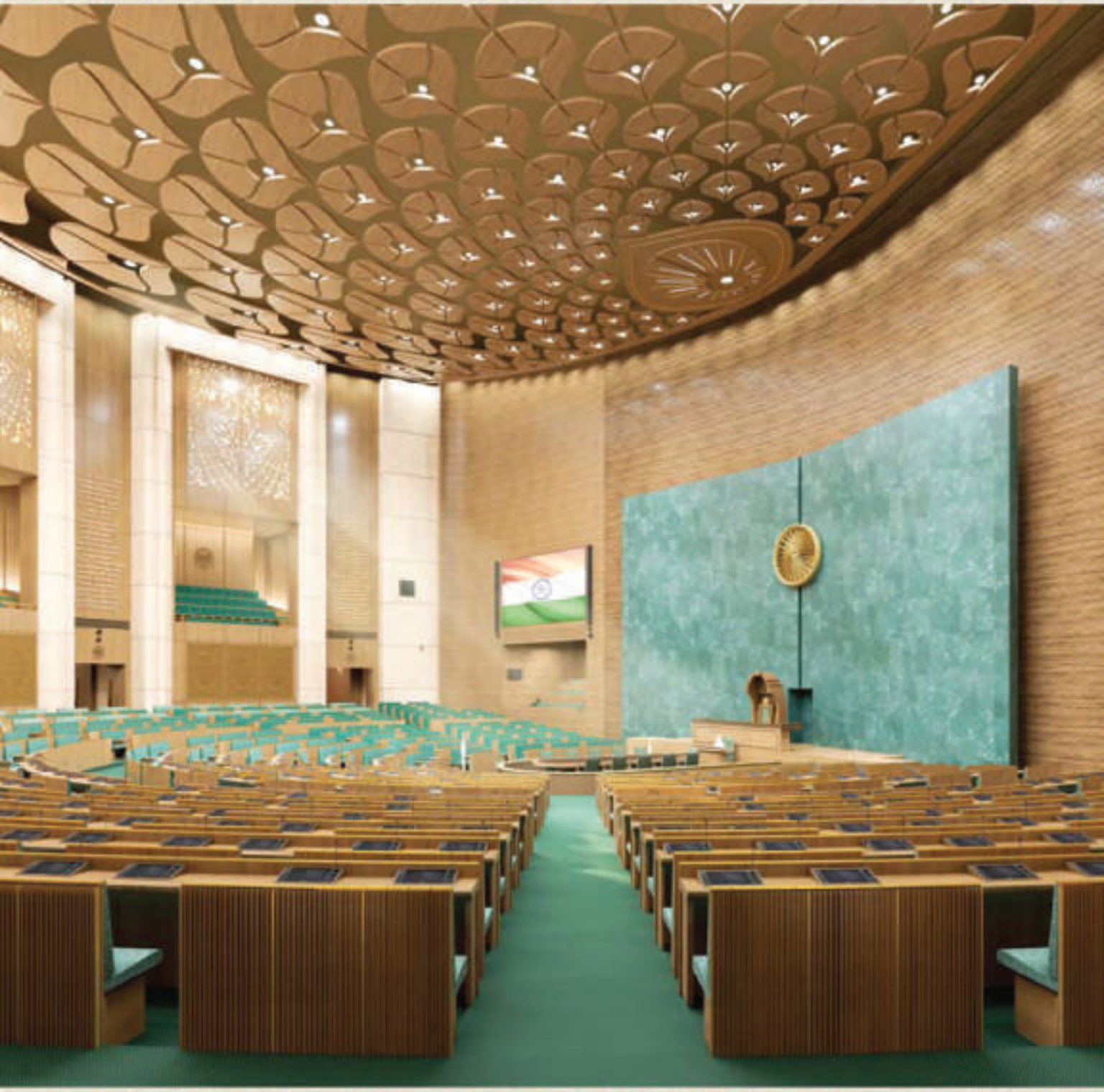

∧ प्रस्तावित लोक सभा कक्ष के दृश्य

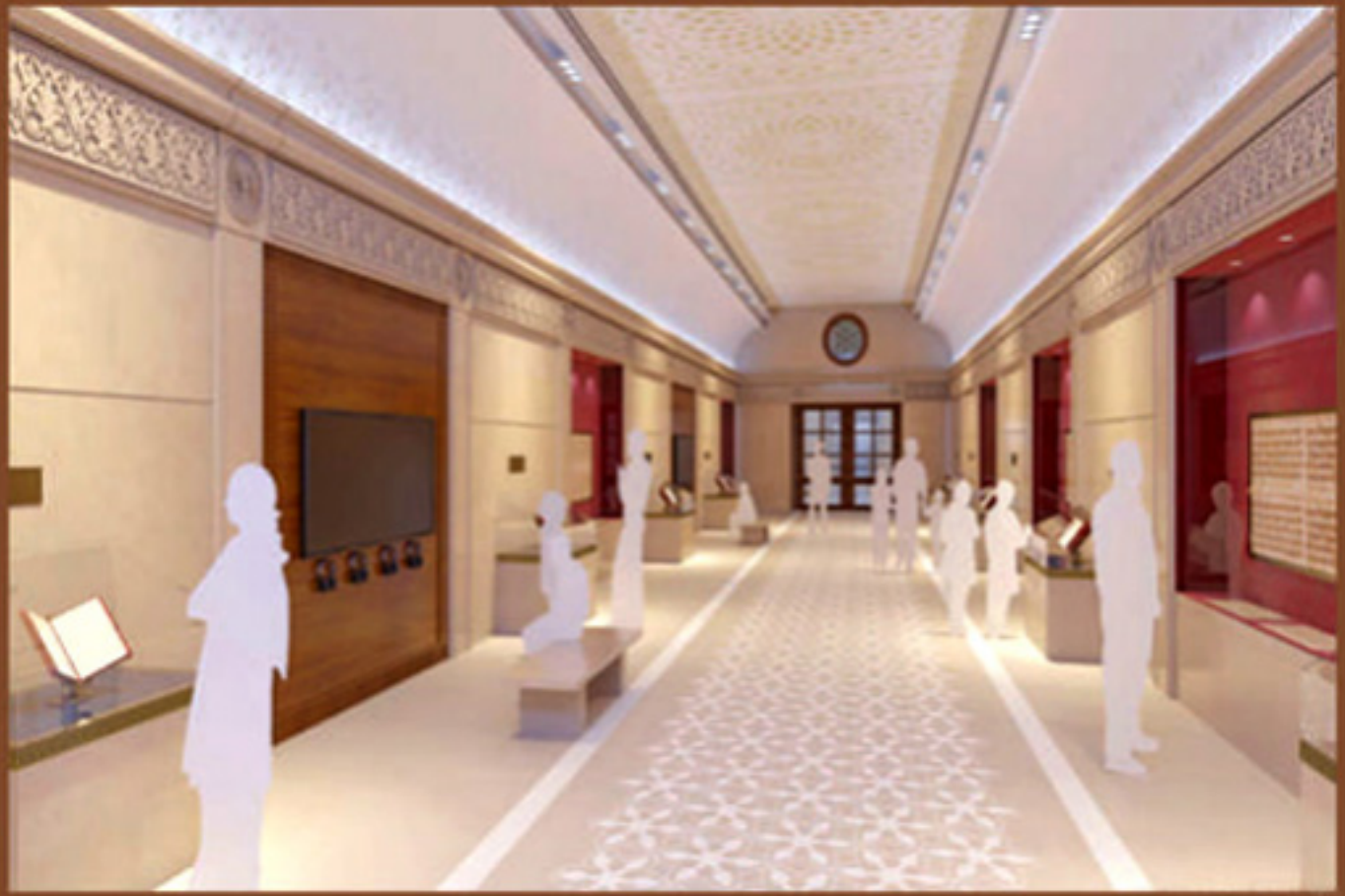

^ प्रस्तावित संविधान कक्ष का दृश्य

^ नए संसद भवन के प्रस्तावित फॉयर का दृश्य

महत्वपूर्ण पड़ाव

12 फरवरी 1921

ड्यूक ऑफ कनॉट ने संसद भवन (मूलतः काउंसिल हाउस के नाम से प्रचलित) की आधारशिला रखी।

18 जनवरी 1927

भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल, लॉर्ड इर्विन ने संसद भवन का उद्घाटन किया।

19 जनवरी 1927

सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेम्बली के तीसरे सत्र की पहली बैठक संसद भवन में हुई।

9 दिसंबर 1946

संविधान सभा की पहली बैठक संसद भवन में हुई।

14–15 अगस्त 1947

संविधान सभा के मध्यरात्रि सत्र के दौरान सत्ता का हस्तांतरण हुआ।

13 मई 1952

भारतीय संसद के दोनों सदनों की पहली बैठक हुई।

3 अगस्त 1970

भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति, श्री वी.वी. गिरि ने संसदीय सौध की आधारशिला रखी।

24 अक्तूबर 1975

तत्कालीन प्रधान मंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी ने संसदीय सौध का उद्घाटन किया।

15 अगस्त 1987

तत्कालीन प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी ने संसदीय ज्ञानपीठ की आधारशिला रखी।

7 मई 2002

भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति, श्री के.आर. नारायणन ने संसदीय ज्ञानपीठ का उद्घाटन किया।

5 मई 2009

भारत के तत्कालीन उप–राष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति, श्री मोहम्मद हामिद अंसारी तथा तत्कालीन लोक सभा अध्यक्ष, श्री सोमनाथ चटर्जी ने संसदीय सौध विस्तार भवन की आधारशिला रखी।

31 जुलाई 2017

प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने संसदीय सौध विस्तार भवन का उद्घाटन किया।

5 अगस्त 2019

भारत के उप–राष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति, श्री एम. वेंकैया नायडु एवं लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला ने क्रमशः राज्य सभा और लोक सभा में नए संसद भवन संबंधी एक प्रस्ताव पेश किया।

10 दिसंबर 2020

प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने भूमि पूजन किया और नए संसद भवन का शिलान्यास किया।